



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

न्यायालय, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली, जिला मुंगेली (छ०ग०)

(अग्रिम जमानत याचिका क्रमांक 319/2026)

(आदेश दिनांक 29-09-2026)

पक्षकार

- 01- जितेन्द्र साहू, पिता-रामप्रसाद साहू, उम्र-36 वर्ष,
- 02- देवप्रसाद साहू, पिता-स्व० जनिक साहू, उम्र-55 वर्ष,
- 03- धर्मेन्द्र कुमार साहू, पिता-देवप्रसाद साहू, उम्र-32 वर्ष,
- 04- रूपेन्द्र साहू, पिता-रामप्रसाद साहू, उम्र-38 वर्ष,
- 05- श्रीमती कांति बाई साहू, पति-देवप्रसाद साहू, उम्र-50 वर्ष,

सभी निवासी-ग्राम निरजाम,

थाना व जिला-मुंगेली (छ०ग०)

--आवेदकगण

विरुद्ध

छ०ग० शासन द्वारा

आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली मुंगेली,

जिला-मुंगेली (छ०ग०)

---अभियोजन

अपराध क्रमांक-225/2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 296, 115(2), 351(3), 117(2) एवं धारा 25, 27 आम्स एक्ट से संबंधित प्रकरण में धारा 482 भा०ना०सु०सं० के तहत निराकृत आवेदन पर हुए आदेश दिनांक 29-09-2026 की सत्यप्रतिलिपि।

-----

29-09-2026

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, मुंगेली के आदेशानुसार अग्रिम जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 319/2026 अंतर्गत धारा 482 भा०ना०सु० सं० विधिवत् निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त, साथ ही



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली मुंगेली के अपराध क्रमांक 225/2026 धारा 191(2), 296, 115(2), 351(3), 117(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित केस डायरी मय प्रतिवेदन पेश।

आवेदकगण जितेन्द्र साहू, देवप्रसाद साहू, धर्मेन्द्र कुमार साहू, रूपेन्द्र साहू एवं श्रीमती कांति बाई साहू की ओर से श्री प्रदीप साहू अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर लोक अभियोजक उपस्थित।

आपत्तिकर्ता कुलेश्वर सिंह परिहार की ओर से श्री अजय जायसवाल अधिवक्ता उपस्थिति ज्ञापन सहित उपस्थित।

आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, आवेदकगण को जमानत दिए जाने पर आपत्ति होना व्यक्त किया गया।

प्रकरण अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई/तर्क हेतु नियत है।

आवेदकगण की ओर से पेश किये गये शपथ पत्र के परिप्रेक्ष्य में **माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के ऑनलाईन साईट पोर्टल** के अवलोकन से आवेदकगण का कोई जमानत आवेदन प्रकरण लंबित होना नहीं पाया गया।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र की कंडिका 09 में यह कथन किया गया है कि, आवेदकगण की ओर से यह **प्रथम** अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त इस आशय का किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर के समक्ष कोई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पेश व लंबित अथवा निराकृत नहीं हुआ है। आवेदकगण की ओर से पेश अग्रिम जमानत आवेदन पत्र के समर्थन



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

में आवेदकगण के द्वारा अपना पृथक-पृथक स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार, यह तर्क किया गया कि, आवेदकगण को यह ज्ञात हुआ है कि, आवेदकगण के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली मुंगेली, जिला-मुंगेली के द्वारा अपराध क्रमांक 225/2026 धारा-191(2), 296, 115(2), 351(3), 117(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने हेतु तलाश कर रहे हैं और उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आवेदकगण निर्दोष है, उनके विरुद्ध रंजिशवश झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण पूर्व से सजायापता नहीं है, उनके विरुद्ध किसी भी थाना या न्यायालय में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है। आवेदकगण एक संभ्रांत परिवार के व्यक्ति हैं, उनके अपने गाँव में उनके परिवार की प्रतिष्ठा है, जिससे आवेदकगण के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है, आवेदकगण को झूठे अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर ठेस पहुंचेगी तथा उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा और उनके परिवार को अपूर्ण क्षति कारित होगा। आवेदकगण ग्राम निरजाम, थाना व जिला-मुंगेली (छ०ग०) के स्थायी निवासी हैं, जहां उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति स्थित है, जिनके जमानत पश्चात् कहीं अन्यत्र फरार होने तथा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का कोई अंदेशा नहीं है। आवेदकगण को न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहाई किए जाने पर



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

वे न्यायालय द्वारा आदेशित एवं निर्देशित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है।

तदनुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर के द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर विरोध व्यक्त करते हुए, निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन के निराकरण हेतु केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि, आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली मुंगेली के द्वारा इन आवेदकगण एवं अन्य के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली मुंगेली के अपराध क्रमांक 225/2026 में धारा 191(2), 296, 115(2), 351(3), 117(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

केस डायरी के अनुसार, प्रार्थी वंशराज सिंह परिहार द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दिनांक 25-07-2026 को इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि, दिनांक 25-07-2026 की सुबह करीबन 11.00-12.00 बजे के मध्य जब वह अपने घर के सामने ठाकुर देव मंदिर चौक के पास खड़ा था, तभी देवप्रसाद साहू अपने खेत से आ रहा था, जो उसे देखकर जब से उनके परिवार के लोग सरपंच बने हैं, तब से तुम लोग जलन कर रहे हो कहकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर वाद-विवाद करते-करते गाँव के सरकारी कुंआ के



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

पास पहुंचा गया, जहाँ पर देव प्रसाद आक्रोशित होकर हाथ-मुक्का से उसके साथ मारपीट किया, जिसे देखकर उसके बड़े पिता जी मनोज सिंह परिहार बीच-बचाव कर विवाद को शांत कराया उसके बाद देवप्रसाद अपने घर चला गया, उसके कुछ देर बाद वह अपने बड़े पिताजी के घर जाने लगा तभी रूपेन्द्र साहू, धर्मेन्द्र साहू, जीतराम साहू, नरेन्द्र साहू उसे मारने के लिए दौड़ाये, उनके हाथ में क्या-क्या हथियार था, वह पीछे से देख नहीं पाया और भागकर मनोज सिंह परिहार के घर में घुस गया, कुछ समय बाद माहौल शांत होने पर वह अपने घर आ गया और घटना के बारे में अपने दादा जी को बताया, तब वह और उसके दादा, सरपंच के घर गये जहां पर जितेन्द्र साहू, धर्मेन्द्र साहू, नरेन्द्र साहू, देवप्रसाद साहू, देवप्रसाद की पत्नी एवं धर्मेन्द्र की माँ सभी उन्हें देखकर बोलने लगे कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, उनके घर के सामने आने का, कहकर एक राय होकर सभी माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर वाद-विवाद करने लगे एवं उसके दादा को पकड़ लिये तथा अपने घर में रखे रापा के बेट से उसे मारपीट करने लगे जिससे उसके माथा, कंधा, पीठ में चोट लगा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा आवेदकगण एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 225/2026 धारा 191(2), 296, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 117(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया।

बचाव पक्ष का अपने प्रतिरक्षा में यह भी तर्क रहा है कि, आवेदक जितेन्द्र साहू, ग्राम पंचायत निरजाम का निर्वाचित सरपंच है जिसे समस्त



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

ग्रामवासी सर्वसम्मति से सरपंच के पद पर निर्वाचित कराये हैं, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा आवेदक जितेन्द्र कुमार साहू की पत्नी की रिपोर्ट पर वंशराज सिंह परिहार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 226/2026 अन्तर्गत धारा 74, 333, 296, 115(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया है, उसी रंजिशवश प्रार्थी पक्ष ने आवेदकगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दिया, अतः उक्त आधार पर भी आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

बचाव पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निर्वाचन का प्रमाण पत्र, थाना मुंगेली के अपराध क्रमांक 226/2026 में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, आवेदक जितेन्द्र कुमार साहू के द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में आरोपीगण के विरुद्ध की गई लिखित शिकायत की प्रति, थाना मुंगेली के अपराध क्रमांक 238/2026 में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से किए गए तर्क पर विचार किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित हुआ है कि, दिनांक 25-07-2026 के समय दोपहर 12.00 बजे दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई-झगड़ा हुआ था, तब उक्त घटना के संबंध में दिनांक 25-07-2026 को ही प्रार्थी वंशराज सिंह परिहार के द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया। तत्पश्चात् दिनांक 26-07-2026 को अर्थात् घटना के एक दिन पश्चात् इस प्रकरण के आरोपी पक्ष की ओर से श्रीमती संतोषी साहू के द्वारा वंशराज सिंह परिहार के विरुद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। अतः



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

यहाँ अभी इस स्तर पर यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है कि, किस पक्ष के द्वारा थाना में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

केस डायरी के अनुसार, प्रकरण में अब तक की गई अनुसन्धान की कार्यवाही में जिस प्रकार का साक्ष्य संकलित किया गया है, उससे आवेदकगण का अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित हो रहा है।

न्यायदृष्टांत "मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध प्रदीप शर्मा", (2014) 2 एस०सी०सी० 171 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, धारा 438 दं०प्र०सं०/संशोधन पश्चात् धारा 482 भा०ना० सु०सं० की शक्तियां असाधारण होती है, इसका उपयोग अपवाद स्वरूप मामलों में वहाँ करना चाहिये जहाँ यह प्रतीत होता है कि, आवेदकगण को अजमानतीय अपराध के अभियोग में असत्य रूप से लिप्त किया गया है। केस डायरी के अनुसार, इस प्रकरण में इन आवेदकगण के विरुद्ध जिस प्रकार का साक्ष्य संकलित किया गया है, उससे प्रथम दृष्टया इन आवेदकगण का अपराध में संलिप्तता दर्शित हो रहा है।

केस डायरी से यह भी पाया जाता है कि, आवेदकगण उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से फरार है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदकगण जितेन्द्र साहू, देवप्रसाद साहू, धर्मेन्द्र कुमार साहू, रूपेन्द्र साहू एवं श्रीमती कांति बाई साहू की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भा०ना०सु० सं० अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।



जमानत याचिका क्रमांक 319/2026

सी०एन०आर०नं०-CGBI040008802026

आदेश की प्रतिलिपि सहित संबंधित आरक्षी केन्द्र को केस डायरी सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

RAKESH  
KUMAR  
SOM



Digitally  
signed by  
RAKESH  
KUMAR  
SOM

राकेश कुमार सोम

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

मुंगेली छ०ग०